बजट 2008-09

विकासोन्मुखी व संतुलित बजट

सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित

28. हम निजी क्षेत्र में "स्टेट आफ द आर्ट" कोल्ड स्टोर स्थापित करने को बढ़ावा देंगे। कृषि तथा बागवानी विभाग "रिटेल चेन" तथा थोक क्रेताओं को प्रोत्साहित करेंगे ताकि "कान्ट्रेक्ट फारमिंग" के माध्यम से किसानों को बेहतर कीमतें मिल सकें । ऐसी व्यवस्था उच्च मूल्य की फसलों के क्षेत्र में बेहतर बाजार सूचना, तकनीकी निवेश, अच्छे नवीनतम बीज तथा नयी कृषि पद्धतियों को किसानों तक पहुँचाने के लिए सहायक सिद्ध होगी।

29. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के अधिकतर दुग्ध उत्पादक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला स्वयं सहायता समूह, गुज्जर आदि वर्गों से हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि इनकी आय बढ़ाने के लिये अगले वित्त वर्ष से मिल्क फैड दूध के क्रय मूल्य में दो रूपये प्रति लीटर की दर से वृद्धि करेगा। मूल्य प्रोत्साहन के माध्यम से हमारा लक्ष्य होगा कि इस सहकारी अभियान के अन्तर्गत कम से कम एक लाख दुग्ध उत्पादक परिवारों को लाभ पहुँचाया जाए। इसके लिए अगले वर्ष में मिल्कफैड को 9 करोड़ रूपये की विशेष बजट सहायता प्रदान की जाएगी।

30. अध्यक्ष महोदय, दूध उत्पादन विकास मिल्कफैड के माध्यम से मूल्य प्रोत्साहनों तक ही सीमित नहीं रहेगा। पशुपालन विभाग इस सहकारी अभियान के लिए पशुधन तथा दूध उत्पादन तकनीक सुधार के क्षेत्र में सभी आवश्यक प्रयास करेगा। पशुपालन विभाग "दुधारू पशु नसल सुधार सोसाईटियों" के साथ सहयोग करके इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ग्रामीण विकास व सहकारिता विभाग भी पशुपालन विभाग और मिल्कफैड को इस कार्य के लिएभी सहयोग देंगे । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग "महिला स्वयं सहायता समूहों" को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मिल्क फैड के साथ मिल कर काम करेगा।

31. मधुमक्खी पालन से भी किसानों की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। हमारी सरकार सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सांझेदारी को बढ़ावा देगी ताकि हिमाचल प्रदेश में इस गतिविधि को और बढ़ावा मिल सके।

ऊर्जा

32. माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शंका नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक समृद्धि प्रदेश की 20,564 मैगावाट जलविद्युत क्षमता के तीव्र दोहन पर निर्भर है, जिसमें से मात्र 6393 मैगावाट का ही अभी तक दोहन किया गया है । 5951 मैगावाट क्षमता की परियोजनाएं आबंटित की जा चुकी है जिन पर कार्य चल रहा है। 8220 मैगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाओं का आबंटन किया जाना अभी शेष है।

अध्यापकों के भरे जाएंगे अठारह हजार पद

33. कुल अनाबंटित परियोजनाओं में से 12 परियोजनाएं 100 मैगावाट से अधिक क्षमता की हैं जिनकी कुल क्षमता 2248 मैगावाट है । मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिसम्बर 2008 तक ये 12 परियोजनाएं भी पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित कर दी जाएं। इस प्रकार राज्य की प्राकृतिक सम्पदा का तेजी से दोहन सुनिश्चित किया जाएगा।

34. मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में हमारी सरकार द्वारा 5 मैगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाओं को पारदर्शी व प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया द्वारा आबंटित करने का निर्णय लिया गया था। इस नीतिगत निर्णय से राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि होगी और आबंटन प्रक्रिया तेज होगी। पिछली सरकार द्वारा 5 मैगावाट से 100 मैगावाट तक की परियोजनाएं गैर पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा आबंटित करने की गलत नीति के कारण न्यायालयों में अनेक मुकद्मे दायर हुए। हमारी नई नीति के फलस्वरूप भविष्य में ऐसी मुकद्मेबाजी से भी छुटकारा मिलेगा।

35. क्योंकि विद्युत विभाग ऊर्जा के विकास तथा विक्रय से सम्बन्धित कई मामलों का निपटारा करता है, इसलिए इस विभाग को सुदृढ़ करने हेतु एक अलग निदेशालय स्थापित करने की आवश्यकता है। तदानुसार, हमारी सरकार ने नए ऊर्जा निदेशालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

सड़कें

36. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में रेलवे तथा जल परिवहन की पर्याप्त सुविधायें न होने के कारण सड़कें हमारी जीवन रेखाएं हैं। हमारे राज्य में 30,834 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा है जिसमें 1261 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च मार्ग तथा 720 किलोमीटर "बॉर्डर रोड" हैं । परन्तु 17,449 जनगणना गांवों में से केवल 8588 गांव ही वाहन योग्य सड़कों से जुड़े हैं । शेष बचे 50 प्रतिशत से भी अधिक गांवों को सड़कों से जोड़ना वास्तव में एक बड़ी चुनौती है।

37. तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के गतिशील नेतृत्व में प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000-01 में आरम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को बहुत लाभ हुआ और आज तक 2146 करोड़ रूपये हमारे राज्य के लिए स्वीकृत हो चुके हैं जिससे 11,292 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण एवं सुधार होगा और 3562 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। 5455 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण एवं सुधार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा चुका है । हमारा लक्ष्य होगा कि उन सभी गावों को 2009 तक सड़कों से जोड़ा जाए जिनकी जनसंख्या 500 से अधिक है। इसके उपरान्त हम उन सभी गांवों को सड़क से जोड़ेंगे जिनकी जनसंख्या 250 से अधिक है।

38. प्रदेश की 3243 पंचायतों में से 460 पंचायतें अभी सड़कों से जोड़ी जानी शेष हैं । राज्य योजना तथा प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत अपने सभी संसाधनों के माध्यम से हम अगले वित्त वर्ष में इन सभी पंचायतों को सड़क से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जहां कहीं पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के कारण सड़क निर्माण कार्य रूके हैं, हमारी सरकार ऐसे मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्रालय से मामला उठाएगी।

39. विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिक एवं भावनात्मक दूरियां समाप्त करने के प्रयोजन से सुरंगों के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है । 7 सुरंगों के परामर्शी अध्ययन का कार्य आबंटित कर दिया गया है तथा इन सुरंगों के निर्माण के लिए धन राशि जुटाने के प्रयास किए जाएंगे, जिनमें रानीताल सुरंग तथा कैंची मोड़-मेला की सुरंगें भी शामिल हैं। हम कुछ और सुरंगों के लिए भी इसी प्रकार के परामर्शी अध्ययन करवायेंगे जिनमें उत्तराला-होली तथा धनेटा-बंगाणा सुरंगें शामिल हैं। इन सुरंगों की डी0पी0आर0 तैयार हो जाने के उपरान्त हम इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा विदेशी वित्तीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

40. कांग्रेस सरकार ने हमारी सरकार द्वारा आरम्भ की गई 'मुख्य मन्त्री ग्राम पथ योजना' को बन्द कर दिया था। गांवों को सड़कों से जोड़ने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को पुनः आरम्भ करने की घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। इसके लिए आगामी वित्त वर्ष में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों की एलाइनमैंट को अन्तिम रूप लोक-निर्माण विभाग की अनुशंसा के उपरान्त दिया जाएगा ताकि निर्मित की जाने वाली सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

41. इस मान्य सदन के सदस्यों द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत बजट आबंटन में वृद्धि किए जाने का मामला उठाया जाता रहा है। इस मांग को मैं स्वीकार करता हूँ और मुझे इस योजना में प्रत्येक माननीय सदस्य के लिए 5 लाख रूपये की वृद्धि की घोषणा करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है। यह राशि वर्तमान में 25 लाख रूपये से बढ़कर आगामी वर्ष के लिए 30 लाख रूपये होगी । 5 लाख रूपये की अतिरिक्त धन राशि केवल "मुख्य मन्त्री ग्राम पथ योजना" के कार्यों के लिए ही खर्च की जा सकेगी।

42. पिछली सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के बढ़ते हुए खर्चों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। डीज़ल, टायरों, पुर्जों तथा वेतन आदि के कुल व्यय पर लगभग 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने के बावजूद पथ परिवहन निगम के अनुदान को 48 करोड़ रूपये से घटाकर 40 करोड़ रूपये कर दिया गया जिससे इस निगम में गम्भीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। पिछली गलतियों के सुधार हेतु, आगामी वर्ष के लिए मैंने निगम के गैर योजना अनुदान में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे वर्तमान के 40 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 48 करोड़ रूपये कर दिया है। आगामी वर्ष के लिए निगम के योजना परिव्यय में 33 करोड़ रूपये का प्रावधान तथा पूर्व ऋणों की अदायगी हेतु 14 करोड़ रूपये का प्रावधान करके कुल 95 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

43. बेरोजगारों को परिवहन के क्षेत्र में स्व-रोजगार जुटाने के लिए हमारी सरकार एक विशेष योजना तैयार करेगी जिसके अर्न्तगत बेरोजगारों को निजी बसों तथा छोटे वाहनों के परमिट प्राथमिकता के आधार पर दिये जाएंगे। परिवहन क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए हम कर रियायतों की नीति पर भी विचार करेंगे।

पर्यटन

44. हिमाचल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2007 के दौरान 88.21 लाख पर्यटक प्रदेश में आये जिन में से 3.39 लाख विदेशी पर्यटक थे। पर्यटन क्षेत्र के तीव्र विकास से राज्य में रोजगार वृद्धि की अपार सम्भावनाएं हैं। हमारी सरकार पर्यटन बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयत्न कर रही है। इस निवेश के माध्यम से हम विभिन्न पर्यटन सर्किटों का विकास करेंगे जिनमें धरोहर पर्यटन, रज्जुमार्ग, जल क्रीड़ाएं तथा 'एन्गलिंग' शामिल किए जाएंगे। "एन्गलिंग" को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन से सम्बन्धित आवश्यक ढांचे तथा सुविधाओं के विकास हेतु मत्स्य पालन विभाग पर्यटन विभाग के साथ मिलकर कार्य करेगा। पर्यटन क्षेत्र में प्रस्तावित विदेशी निवेश के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी सहभागिता द्वारा ऐसे संस्थान भी स्थापित किए जायेंगे जिनमें हमारे युवाओं को होटल व्यवसाय से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

45. हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी सहभागिता में मुख्य सड़कों के किनारे अच्छे मोटल खोले जाएँ ताकि उचित दरों पर पर्यटकों के लिए आरामदेह आवास मिल सके और उन्हें नए स्थानों के प्रति आकर्षित किया जा सके। यह मोटलज् शिमला, धर्मशाला, मनाली, डलहौजी जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों से जुड़े हुये सर्किटों में बनाए जाएंगे ताकि पर्यटक हिमाचल प्रदेश में कुछ अधिक समय के लिये ठहरें और इसका लाभ प्रदेश के भीतरी भागों को भी प्राप्त हो। हमारी सरकार यह प्रयास करेगी कि जनजातीय क्षेत्रों सहित प्रदेश में नये पर्यटन स्थल विकसित हों। नये पर्यटन स्थलों के विकास के साथ-साथ हम हैली-टैक्सी सेवा आरम्भ करने की ओर भी ध्यान देंगे।

46. पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से हम नये रज्जु मार्गों की परियोजनाओं को निजी क्षेत्र की सहभागिता से निर्मित करने के लिए ध्यान केन्द्रित करेंगे। इनमें पलचान-रोहतांग, भुन्तर-बिजलीमहादेव, पालमपुर- नियुगल, धर्मकोट-त्रियुन्ड, शाहतलाई-दियोटसिद्ध तथा श्री नयना देवी- आनन्दपुर साहिब आदि शामिल हैं।

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल वर्ष 2008-09 के बजट को अंतिम रूप देते हुए

- ❑ ऊर्जा निदेशालय होगा स्थापित
- ❑ निजी क्षेत्र की भागीदारी से स्थापित होंगे तीन मेडिकल कॉलेज
- ❑ चिकित्सकों के 250, नर्सों व पैरामेडिकल के 1000 पद भरे जाएंगे
- ❑ गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना
- ❑ सभी चिकित्सा संस्थानों में पर्ची शुल्क समाप्त
- ❑ 1081 ग्राम रोजगार सेवकों की होगी नियुक्ति

शिक्षा

47. अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने अपने शासन काल के आखिरी दिनों में जल्दबाज़ी में अनेक विद्यालय तथा महाविद्यालय खोले और इन संस्थानों के लिए अपेक्षित आधारभूत ढांचा स्थापित करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि अध्यापकों की भर्ती में आवश्यक गुणवत्ता के मापदण्डों को भी ध्यान में नहीं रखा गया। हमारी सरकार ने इस गलती को सुधारने और अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए आगामी वित्त वर्ष में विभिन्न वर्गों के अध्यापकों के लगभग 18,000 पदों को भरने का निर्णय लिया है। हमारे ध्यान में यह आया है कि ग्रामीण विद्या उपासक जैसी अध्यापकों की श्रेणी के साथ वेतन आदि के मामलों में भेद-भाव हुआ है। इस भेद-भाव को समाप्त करने के लिए हम उनके वेतन आदि का युक्तिकरण करेंगे।

48. हमारी सरकार शैक्षणिक संस्थानों का उचित पुर्नगठन कर पिछली सरकार की गलत शिक्षा नीति में सुधार करेगी। प्रमुख शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में भी सुधार लाया जाएगा ताकि प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा जिलों में उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों का विकास हो सके, क्योंकि स्वतन्त्र सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि प्रदेश में शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ने के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है।

49. अध्यापन गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके अनुसार विद्यालय परिसरों में कार्यदिवसों पर राजनैतिक एवं सामाजिक समारोह आयोजित करने पर रोक लगाई गई है ताकि पढ़ाई का कीमती समय बर्बाद न हो। इसका उद्देश्य अध्यापकों व विद्यार्थियों को बन्धुआ श्रोता बनने से बचाने का भी है।

50. मान्य सदन के सभी सदस्य इस विचार से सहमत होगें कि हमारे शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना अति आवश्यक है। कम्प्यूटर शिक्षा तथा अंग्रेजी वार्तालाप में छात्रों को दक्ष बनाने की दो प्रमुख आवश्यकताओं पर हमारी सरकार विशेष ध्यान देगी। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 11वीं योजना के अन्त तक हम चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल तथा महाविद्यालय में इंटरनेट सुविधा युक्त कम्प्यूटर उपलब्ध करवांएगे ताकि विद्यार्थियों की सूचना प्रोद्यौगिकी एवं कम्प्यूटर में दक्षता सुनिश्चित की जा सके। हमारे ध्यान में आया है कि जिन निजी संस्थाओं के साथ सूचना प्रोद्यौगिकी का विषय पढ़ाने के लिए करार किया गया है, वे कम्प्यूटर अनुदेशकों को उचित मानदेय नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार ऐसे करारों पर पुनः समझौता करके कम्प्यूटर अनुदेशकों के लिए उचित मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करेगी।

51. विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा में दक्ष बनाने हेतु शिक्षा विभाग अलग से एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगा। हमने पंजाबी भाषा के भी 100 अध्यापक उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।

52. अनेक निजी शैक्षणिक संस्थानों ने राज्य में विश्वविद्यालय स्थापित करने में रूचि दिखाई है। हम निजी क्षेत्र के साथ इस प्रकार की सहभागिता को प्रोत्साहित करेंगे ताकि प्रदेश के युवाओं को उच्च तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक विकल्प उपलब्ध हो सकें।

हमारे शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के लिए कमरों, विज्ञान प्रयोगशालाओं, व्याख्यान कक्षों इत्यादि की बहुत कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि अगली वार्षिक योजना में विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के पूंजीगत कार्यों के लिए 197.03 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जायेगा। यह राशि चालू वित्त वर्ष में 81.26 करोड़ रूपये की तुलना में 142 प्रतिशत अधिक होगी जिससे अधिकांश विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के मूलभूत ढांचे की कमी को पूरा किया जा सकेगा।

केन्द्रीय सहायता से हम मण्डी जिले में एक आई0आई0टी0 (भारतीय तकनीकी संस्थान) स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। कांगड़ा जिले में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। हम अपने संसाधनों से राज्य में एक विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करेंगे जो कि उत्कृष्टता का केन्द्र होगा।

पुनः आरंभ होगी मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना

55. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण के उद्देश्य से हम पंचायती राज संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा के प्रबन्धन में अधिकाधिक उत्तरदायित्व देंगे। पंचायत समितियों व जिला परिषदों को उच्च विद्यालयों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धन में उत्तरदायित्व दिया जाएगा। शक्तियों के इस विकेन्द्रीयकरण के लिए शिक्षा मन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्री मण्डलीय उप समिति एक कार्य योजना तैयार करेगी।

तकनीकी शिक्षा

56. तकनीकी शिक्षा तथा व्यवसायिक औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उद्योगों के लिए बुनियादी दक्षता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। 'स्किल गैप' को पूरा करने के लिये हमारी सरकार जिलावार योजना तैयार करना सुनिश्चित करेगी। इस योजना के आधार पर तकनीकी पाठ्यक्रमों का पुनर्निर्धारण किया जायेगा ताकि बेरोजगार युवा श्रम-बाजारों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। संस्थान परिसरों में ही प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु प्रत्येक संस्थान के 'प्लेसमेंट सैल' को सुदृढ़ किया जायेगा। चूंकि आने वाले वर्षों में जल-विद्युत क्षेत्र में भारी निवेश होगा, इसलिए हमारे युवाओं को इससे संबन्धित तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दिया जायेगा।

57. आगामी वित्त वर्ष में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र की निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 27.6 करोड़ रूपये का योजना खर्च प्रस्तावित है। आवश्यकता हुई तो हमारे बेरोजगार युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इसमें समुचित वृद्धि की जायेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी

58. माननीय अध्यक्ष महोदय, आधुनिक अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर तथा उत्पादकता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम सूचना प्रौद्योगिकी पर कितना ध्यान देते हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने "हिमस्वान" नामक राज्य व्यापी क्षेत्रीय नेटवर्क आरम्भ किया है। इससे प्रशासन में कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता बढ़ेगी।

59. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के मापदण्डों के अनुसार "स्टेट डाटा सेन्टर" की स्थापना हेतु कदम उठाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र निजी पार्टनरशिप के माध्यम से पंचायत स्तर तक 3366 सामुदायिक सेवा केन्द्रों में कम्प्यूटर आधारित सेवायें चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जायेंगी। सभी उच्च मूल्य निविदाओं के लिए "ई-प्रोक्योरमेंट" पद्धति अनिवार्य की जाएगी। आरम्भ में यह पद्धति लोक-निर्माण तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागों में अपनाई जायेगी।

60. राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। अगले चरण में सभी जिला पुस्तकालयों तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में "ब्रॉडबैंड इन्टरनेट कनेक्टिविटी" सुविधा सहित कम्प्यूटर प्रयोगशालायें स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में इस योजना के अन्तर्गत उन विद्यालयों को लाया जाएगा जिनमें 9वीं से 12वीं कक्षा के बीच के विद्यार्थियों की संख्या 600 से अधिक होगी । इन कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं के माध्यम से आई0टी0 "ईनेबलड" सेवाओं तथा बी0पी0ओ0 उद्योग के लिए "साफ्ट स्किल" प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित आई0टी0 कर्मी उपलब्ध होंगे। अधिक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एवं नगरों की स्थापना की जायेगी।

स्वास्थ्य सेवाएं

61. माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्य का दर्जा प्राप्त है । प्रति हजार 18.8 की जन्म दर, 6.8 की मृत्यु दर, 50 की शिशु मृत्यु दर, 14 की बाल मृत्यु दर तथा कुल 2.1 की प्रजनन दर से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश में अभूतपूर्व सफलता अर्जित की गई है । इस तरह से हमारा प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है।

कुशल निवारक उपायों के कारण यद्यपि स्वास्थ्य सूचक अच्छे हैं, परन्तु राज्य के कई भागों में प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की कमी के कारण उपचार सेवायें प्रभावित हो रही हैं। चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए हम सम्बन्धित संस्थाओं में 250 चिक्त्सिकों की नियुक्तियां करेंगे। जनजातीय एवं दूरदराज के इलाकों में कार्य करने के लिए उचित प्रोत्साहन का प्रावधान रखा जाएगा। इसी प्रकार नर्सों और पैरा मैडिकल के लगभग 1000 पदों को भी भरा जाएगा। चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी से निपटने के लिए हमारी सरकार चिकित्सकों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजेगी। क्योंकि प्रदेश में गुर्दे से सम्बन्धित बिमारियां साधारणतया होती है, हम हर जिला से चिकित्सकों को "नैफ्रौलोजी" से सम्बन्धित प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे। चिकित्सकों की कमी से निपटने के लिए मण्डी, ऊना व हमीरपुर जिलों में निजी क्षेत्र के साथ समुचित भागीदारी द्वारा हम तीन मैडिकल कालेज स्थापित करने की प्रक्रिया आरम्भ करेंगे।

63. सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र सहभागिता मॉडल को विकसित करते हुए निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं ली जाऐंगी ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों को दूर किया जा सके। जनजातीय, पिछड़े एवं कठिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से पहुँचाने के लिए सरकार बहुआयामी विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा शिविर लगाएगी व निजी चिकित्सकों को भी ऐसे मोबाइल क्लिनिकों एवं शिविरों में शामिल किया जाएगा। हमारी सरकार इंटरनेट सुविधा पर आधारित टेलिमेडिसन परियोजनाओं के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ायेगी। हमारे मैडिकल कालेजों के पुस्तकालयों में 'आन लाईन हाईस्पीड ब्रॉड बैन्ड कनैक्टीविटी' पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि विद्यार्थी एवं चिकित्सक नवीनतम पत्रिकायें एवं सूचनायें प्राप्त कर सकें।

64. माननीय अध्यक्ष महोदय, नर्सों की कमी न केवल राज्य स्तर पर अपितु राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर भी अनुभव की जा रही है। हमारे युवाओं को विशेषकर उन महिलाओं को जो इस व्यवसाय को अपनाने की इच्छुक हैं, को इस व्यवसाय में रोजगार के कई अवसर उपलब्ध करवाये जा सकते हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि स्वास्थ्य विभाग इस क्षेत्र में निवेश की कारगर नीति बनाएगा ताकि अधिक से अधिक नर्सिंग कालेज व नर्सिंग स्कूल खोलने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सके। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा ऐसे संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि आबंटन सहित सरकारी सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार प्रशिक्षित 'पैरा मैडिकल' स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देगी।

65. आगामी वित्त वर्ष की वार्षिक योजना में स्वास्थ्य संस्थाओं के लम्बित पूंजीगत कार्यों को पूर्ण करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दिशा में पूंजीगत परिव्यय को चालू वित्त वर्ष के 33.67 करोड़ रूपये से बढ़ाकर अगले वर्ष के लिए 104.01 करोड़ रूपये की घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। 209 प्रतिशत की यह वृद्धि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को सुदृढ़ करने के प्रति हमारी वचनबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम स्वास्थ्य संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान देंगे। आवश्यकतानुसार नये स्वास्थ्य संस्थान भी खोले जायेंगे।

66. आर्थिक तंगी के कारण प्रायः गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें नहीं मिल पाती हैं । मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि हम गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना आरम्भ करेंगे जिसमें गरीब परिवारों को धन खर्च नहीं करना होगा। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी चिकित्सा संस्थानों में पर्ची शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा।

67. हिमाचल प्रदेश में तपेदिक तथा एच0आई0वी0 एड्स दो भयानक बीमारियां है जिन पर स्वास्थ्य विभाग विशेष ध्यान देगा । इन रोगों की रोकथाम के लिए हम सभी आवश्यक पग उठायेंगे जिनमें धर्मपुर टी0बी0 सैनिटोरियम में एक विशेष उपचार केन्द्र की स्थापना भी शामिल है । एड्स एक ऐसा रोग है जिसकी पहचान प्रारम्भिक अवस्था में ही की जानी आवश्यक है ताकि एड्स से मुक्त समाज बनाने की ओर हमारे प्रयास सफल रहें। अतः मेरा प्रस्ताव है जिस प्रकार विवाह से पूर्व जन्म पत्रियों का मिलान किया जाता है उसी प्रकार हमारा समाज युवाओं को विवाह से पूर्व एड्स मुक्त रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें।

(अगले पृष्ठ पर जारी)